न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

रामोतार / फूला व अन्य

टी.आई. 24/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	08/08/22	आज दिनांक 08/08/22 को पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/~~अवकाश पर~~ है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/08/22 को पेश हों।
	26/08/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. हेतु निरन्तर अवसर दिये जाने के उपरान्त भी आज बहस प्रा.पत्र टी.आई. हेतु अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। लगभग 03 माह से पत्रावली बाबत बहस प्रा.पत्र टी.आई. हेतु नियत है। उक्त अवधि में अप्रार्थीगण द्वारा तथा उक्त अवधि के पूर्व भी अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी मान्य रूप में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का कोई खंडन मौखिक/प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही प्रार्थना पत्र का कोई जवाब अथवा प्रस्तुत तथ्यों के संदर्भ में कोई ~~आपत्ति~~ उज्र आपत्ति व प्रा.पत्र का कोई प्रतिरोध न्यायालय द्वारा के समक्ष आज दिनांक तक भी प्रस्तुत किया गया है। तथा निरन्तर बहस हेतु अवसर दिए जाने के उपरान्त भी बहस टी.आई. प्रार्थनापत्र की [illegible] अतएव अधिवक्ता [illegible] बहस प्रार्थनापत्र [illegible] प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वाद / प्रार्थनापत्र अधीन कृषि आराजी नं. 272, 273/610 कुल खसरा किता 2

[signature]
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Bankawat
Date: 2022.11.16 11:53:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

मनोज बनाम फूला व अन्य

मुकदमा संख्या /वर्ष (टी. ए.) 24 /2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/8/22	कुल रकबा 0.15 है. राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के नाम 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 7 के नाम 1/2 हिस्से के रूप में दर्ज अंकित है। अप्रार्थीगण 1 ता 6 के पिता स्व. कालु पुत्र काना मीणा ने अपनी मृत्यु से पूर्व, वर्तमान में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज अंकित 1/2 को जो कि अप्रार्थीगण 1 ता 6 से पूर्व अप्रार्थीगण 1 ता 6 के पिता उक्त स्व. कालु के नाम 1/2 हिस्से के रूप में अंकित थी, को मन प्रार्थी को जरिये विक्रय पत्र (पंजीकृत) दिनांक 29/04/10 को विक्रय की थी। परन्तु नामांतकरण प्रक्रिया की खामी के कारण रिकार्ड से उक्त पंजीकृत का नामांतकरण तस्दीक नहीं होकर कालान्तर में विक्रेता खातेदार की मृत्यु हो जाने पर विरासत नामांतकरण के रूप में अप्रार्थीगण 1 ता 6 के नाम दर्ज अंकित हो गई। जिसके पश्चात् जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा रिकार्ड से उक्त अंकन को दुरूस्त नहीं कराने पर इस्तगासा प्रा. पत्र मय वाद पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण उक्त गलत अंकन के आधार पर [illegible] व्यक्तियों को [illegible] खुर्द-बुर्द करना [illegible] है जिससे यदि अप्रार्थीगण को [illegible] निषेधित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति	

Gaurav
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Bankawat
Date: 2022.11.16 11:53:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नामांतरण सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

मनोज बनाम फूला व अन्य
टी. आई. 24/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	26/08/22	कारित होगी। जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली को गौरपूर्वक अवलोकन किया पश्चात भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत मूलवाद साक्ष्य वादी की प्रक्रिया में लम्बित है जिसके क्रम में यद्यपि पक्षकारान के वास्तविक हक अधिकार मूलवाद में उभयपक्षकारान के प्रस्तुत साक्ष्यों की उच्च गुणवत्ता के आधार पर तय किए जावेंगे परन्तु ~~किसी~~ चूँकि दिनांक 25/08/22 को उपस्थिति प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के तथ्यों का किसी भी प्रकार से तथा किसी भी रूप में कोई खण्डन अथवा कोई प्रतिरोध भी आज दिनांक तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद बहुलता एवं न्यायहित के दृष्टिगत भूमि वादग्रस्त को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम सालड्यास तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 272, 273/610 कुल रकबा किता 2 कुल रकबा 0.15 है. का विक्रय-हस्तान्तरण आदि ना करें [illegible] मौके व राजस्व रिकॉर्ड [illegible] निर्णय आज [illegible] न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दर्ज [illegible] से जमा हो। Gaurav सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Bankawat
Date: 2022.11.16 11:53:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner